न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
29/19	एफएसएस एक्ट, 2006	06/11/2019

प्रेमचन्द्र जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर

–आवेदक

बनाम

राकेश कुमार मित्तल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मित्तल ,उम्र लगभग 42 वर्ष जाति महाजन (मौके पर विक्रेता) –फर्म– बद्रीलाल जगदीश प्रसाद पंसारी गली, पटवा बाजार गंगापुर सिटी निवासी कल्याण जी मंदिर के पास गंगापुर सिटी।

जगदीश प्रसाद मित्तल पुत्र श्री बद्रीलाल मित्तल ,जाति महाजन (मालिक)–फर्म– बद्रीलाल जगदीश प्रसाद पंसारी गली, पटवा बाजार गंगापुर सिटी निवासी कल्याण जी मंदिर के पास गंगापुर सिटी।

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक:– 12.06.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 10.05.2019 को लगभग 06:30 ए.एम. पर दौराने गश्त धौलपुर से करौली होते हुए गंगापुर सिटी में मिलावटी मावा आने की संभावना को देखते हुए श्री नरेश कुमार चेजारा व वेद प्रकाश पूर्विया एफएसओ कार्यालय सी.एम.एच.ओ. सवाई माधोपुर के साथ ताजपुर करौली मोड गंगापुर सिटी पर पहुंचे। ताजपुर करौली मोड पर दौराने गश्त धौलपुर करौली की तरफ से आ रही दो पीकअप गाडीयों को लगभग 06:50 ए.एम. पर मिलावटी खाद्य सामग्री होने की आशंका से ताजपुर करौली मोड पर रूकवाया गया जिनमें एक गाडी पिकअप संख्या आरजे 25जीए 3896 व दूसरी गाडी पिकअप संख्या यूपी 83 बीजे 1273 थी। गाडी पिकअप संख्या आरजे 25 जीए 3896 के ड्राइवर को आवदेक ने अपना परिचय दिया तथा परिचय पत्र दिखाया। गाडी ड्राईवर ने अपना नाम शिवजी माली निवासी उदेई कलां गंगापुर सिटी होना बताया। आवेदक गाड़ी सं0 आरजे 25जीए 3896 के ड्राईवर से पूछा इस गाडी में क्या है तो उसने बताया की इस गाडी में 35 टोकरी मावा है जो मै धौलपुर से लेकर आया हूँ तथा गंगापुर सिटी में राकेश मित्तल मावा वाले के यहां ले जा रहा हूँ। आवेदक द्वारा उक्त गाडी में रखे हुये मावे का निरीक्षण किया गया। गाडी में लगभग 35–35 किलो मावे की टोकरिया थी। टोकरियों में भरे हुये मावे का निरीक्षण करने पर मिलावट का शक हुआ। लगभग 1 घन्टे बाद एक व्यक्ति मौके पर आया जिसने अपना नाम राकेश कुमार मित्तल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मित्तल बताया व कहा कि इस गाड़ी संख्या आरजे 25 जीए 3896 में मैने मावा धौलपुर से मैने अपनी फर्म – बद्रीलाल जगदीश प्रसाद पंसारी गली, पटवा बाजार गंगापुर सिटी निवासी कल्याण जी मंदिर के पास गंगापुर सिटी पर आमजन को विक्रय हेतु मंगवाया है। राकेश मित्तल ने कहां कि मावे का बिल एवं फर्म का खाद्य लाईसेन्स मै आपको कार्यालय में भिजवा दूँगा अभी मेरे पास नहीं है। फर्म प्रतिधी राकेश मित्तल व मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष गाडी में रखी हुयी मावे की टोकरियों का निरीक्षण किया गया। टोकरियों मे मावे में मिलावट का शक होने पर फर्म प्रतिनिधी व मौके पर मौजूद विक्रेता राकेश मित्तल से टोकरियों के मावें मे से नमूना जांच हेतु देने को कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5ए तैयार कर उपस्थित गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने एक टोकरी जिसमें लगभग 35 किलो खोया (मावा) था को एक स्टील की चम्मच से अच्छी तरह हिला मिलाकर उसमें से 1 किलो खोया (मावा) शुद्धता की जांच हेतु नमूना लेने बाबत एक साफ ,सूखे व खाली बर्तन में खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 200/– रू0 नगद देकर खरीद की रसीद प्राप्त की।

आवेदक द्वारा नमूने की पूर्ण कार्यवाही कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया। उक्त फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द शीशी एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक लिफाफे में सील मोहर कर ,आउटर कवर में सील बन्द शीशी व फार्म नं0 6 का सील बन्द लिफाफा श्री कैलाश सैन ,ड्राईवर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा दिनांक 13.05.2019 को खाद्य विशलेषक कोटा के यहां जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, शेष बचे नमूने के दो सील बन्द शीशी व फार्म नं0 6 की

दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा नमूने की शेष एक सील बन्द शीशी व फार्म सं0 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर दिनांक 13.05.2019 को स्वयं ही अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2019/1500 दिनांक 26.06.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 279/FSSL/Kota/Act/2019/310 दिनांक 20.06.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्तो नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ खोया (मावा) का नमूना अवमानक प्रकृति का पाया गया जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)का उल्लघंन है। जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित।अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए जबाव पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने अपना जवाब पेश कर दौराने बहस निवेदन किया कि पिकअप वाले ने आवेदक को गलत तथ्यों से अवगत कराया है। आवेदक द्वारा अभियुक्त सं0 1 को बुलवाने वाली बात जो लिखी है, गलत है अभियुक्त सं0 1 राकेश ना तो प्रार्थना पत्र में लिखे अनुसार मौके पर गया ना ही ऐसा कोई वार्तालाप आवेदक से हुआ। आवेदक ने पूर्व में अभियुक्तगण की दुकान से सैम्पलिंग की कार्यवाही की थी। उस समय कई सारे खाली कागजों पर जबाबदार के हस्ताक्षर कराये थे। उन कागजों में कुछ कागजों का उपयोग गलत तरीके से करते हुए उक्त प्रकरण में अभियुक्त को गलत तरीके से लिप्त किया गया है। आवेदक द्वारा विवादित सैम्पल किस तरह से लिया गया अभियुक्त द्वारा इस संबंध में कुछ भी कथन करना असम्भव है। आवेदक द्वारा अभियुक्त से उक्त सैम्पल लिया ही नहीं गया ना ही अभियुक्त के समक्ष सैम्पल की कार्यवाही की गई है। उक्त सैम्पल मिसब्राण्ड कैसे घोषित किया गया, स्पष्ट नही है, साथ ही वकील अभियुक्त ने अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध उक्त कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली मे संलग्न प्रपत्र 5 ए पर अभियुक्त सं0 1 राकेश के हस्ताक्षर व दिनांक अंकित है। जिससे स्पष्ट होता है कि अभियुक्त सं0 1 के अधिवक्ता का यह कथन कि उक्त कार्यवाही अभियुक्त के समक्ष नहीं हुई है तथा आवेदक द्वारा पूर्व में खाली कागजों में हस्ताक्षर करवा लिये है गलत व निराधार प्रतीत होता है। खाद्य विश्लेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 279/FSSL/Kota/Act/2019/310 दिनांक 20.06.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ खोया (मावा) का नमूना अवमानक प्रकृति का पाया गया। यदि अभियुक्त उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था तो निर्धारित समयावधि में रैफरेल प्रयोगशाला में जांच हेतु आवेदन कर सकता था। अतः आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त सं0 1 व 2 को संयुक्त रूप से 25,000 (पच्चीस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी